कोलकाता, मंगलवार
10.12.2019
मार्गशीर्ष शुक्ल 13 संवत 2076
पृष्ठ 12, मूल्य : ₹ 5
शिल्पांचल संस्करण
वर्ष : 20, अंक : 336
रजिस्ट्रेशन : WBHIN/2000/2711

अखबार नहीं आंदोलन

प्रभात खबर

prabhatkhabar.com

कोलकाता । रांची । पटना । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । सिलीगुड़ी । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । गया से प्रकाशित

स्पोर्ट्स
टीवी सीरीज में नजर आयेंगे धौनी... 10

दिल्ली पब्लिक स्कूल में 'पॉक्सो एक्ट' पर कार्यशाला

आसनसोल. बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं. इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर दिल्ली पब्लिक स्कूल आसनसोल में प्रधानाचार्य आर. डी. शर्मा ने एक दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत अध्यापकों को पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफिंसेस एक्ट) की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों में अलग-अलग सजा का प्रावधान है और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं.

18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है. इस धारा के लगने पर तुरन्त गिरफ्तारी का प्रावधान है. सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने का कारावास और आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है. यह अधिनियम बाल संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है. इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती है. जैसे बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त कराना और बच्चे को आश्रय गृह में रखना इत्यादि. पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए ताकि सीडब्ल्यूसी बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके. इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि इस तरह की हो ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो. मेडिकल जांच बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए, जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जाना अपरिहार्य है.

अधिनियम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए. इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किए जाने का प्रावधान है. इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए.

विशेष न्यायालय, उस बच्चे को दी जाने वाली मुआवजा राशि का निर्धारण कर सकता है, जिससे बच्चे की चिकित्सा और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके. अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए. प्रधानाचार्य ने अध्यापकों से कहा कि एक शिक्षक समाज का मेरुदण्ड है , छात्र का उसके साथ एक विशिष्ट सम्बन्ध और अटूट विश्वास होता है इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमें देश के भावी नागरिकों के कल्याण के लिए पॉक्सो जैसे कानूनों की जानकारी हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सम्बल लिया जा सके.